

**Form-I**  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh.



**Office of the District Collector, Kullu, Distt. Kullu, H.P.**

No. 1613 /DRA

Dated:- 4/9/2017


**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **5.31 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **HPPWD Department** for construction of **Road Shamsher to Panai** in Kullu district falls within jurisdiction of **Gram Panchayat Karana** Village in **Anni** Tehsil.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **5.31 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

  
(Yunus)  
**District Collector,**  
**Kullu.**  
COLLECTOR Kullu

Annexure A 2

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kullu District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship / Chairpersonship of Sh. Yunus, Deputy Commissioner, Kullu on 06-07-2017 at 03:30 PM at Kullu in which the application(s) claiming rights in Gram Panchayat Karana forest area under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee(s) of Kullu Sub Division(s), were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decisions were taken on each application :-

**Name of Applicant**


**Decision (Admitted/Rejected)**

Admitted

HPPWD Department

Place : Kullu

Dated:

  
**DC-cum Chairman/Chairperson,  
District Level Committee,  
Kullu District HP.**  
COLLECTOR Kullu




3

**OFFICE OF THE SDO CIVIL ANNI DISTRICT KULLU (H.P.)**

Proceeding of the meeting of the Sub -Division level committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub - Division level Committee of Anni Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship / chairpersonship of Dr. Charanji Lal Chauhan SDO(C) Anni on 26-04-2017 at 11AM at Anni (Place) in which the application(s) claiming rights in the concerned forest areas under FRA, 2006, of the following application(s), duly processed and recommended by the forest right Committee of Kungesh Gram Sabha were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on the each application:-

Name of applicant	Decision (Admitted / Rejected)
2- construction of Road Shamsher to Penei Tehsil Anni Distt.Kullu.	Admitted
Place Anni Dated 26-04-2017	 SDO (Civil)-cum Chairman Sub Division Level Committee, Sub Division Anni, Distt Kullu.

## अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति ..... कराणा

ग्राम सभा ..... कराणा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या ..... 02

दिनांक 17-07-2015

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा ..... कराणा ..... की बैठक आज

दिनांक 17-07-2015 को 11:00 बजे, स्थान कार्जुल गांव पंचायत कराणा में

श्री/श्रीमति ..... राम बामा ..... की अध्यक्षता में की गई जिसमें समा क्षेत्र

कराणा गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों

से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,

2006 के अंतर्गत ..... जंगल/वन क्षेत्र से सम्बंधित वन

अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें सड़क क्षमता से पनई

के निर्माण के लिए 5.31 हैक्टर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरांत यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति ..... का

जंगल/वन क्षेत्र में ..... के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार

सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप खंड स्तर की

समिति को प्रेषित करती है/ तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान ..... जावू

दिनांक 20/7/2015

अध्यक्ष

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत ..... कराणा


 राधिव  
 ग्राम पंचायत, कराणा  
 विकास खण्ड, जाली, मिला कुलु (हिमाचल)

\*\*प्रोजेक्ट /कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत ..... करणा

विकास खंड ..... आनी ..... जिला ..... कुल्लू (हि० प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्रीमति ..... रामचन्द्र किल्ल

दिनांक 25-11-2016

गण पूर्ति ..... 324/633

प्रस्ताव संख्या ..... 02

विषय : हि० प्र० लो० निर्माण विभाग/संस्था को सड़क शमशान से

पनई के निर्माण हेतु ..... जाला - II

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित ..... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की

मंजूरी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत ..... करणा ..... की बैठक आज

दिनांक 25-11-2016 को 11:00 बजे, स्थान कार्यालय ग्राम पंचायत करणा

में की गई, जिसमें हि० प्र० लो० निर्माण विभाग/संस्था

को सड़क शमशान से पनई के निर्माण हेतु ..... जाला - II

जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित ..... 5.31 ..... हैक्टर वन

भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्राम वासियों ने सम्बंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से ये निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिया जाने पर कोई आपति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कर ली गई है तथा प्रस्तावित ..... हैक्टर वन भूमि को निर्माण सड़क शमशान से पनई

निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा ..... करणा ..... की सहमती दी जाती है।

स्थान ..... जाला

दिनांक 25/11/2016



ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत ..... करणा